

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/20/1209

दिनांक: 26-3-2021

आदेश

निर्देशानुसार विभागीय आदेश क्रमांक प.8(क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/6297 दिनांक 04.11.2016 द्वारा नियुक्त श्री अशोक कुमार शर्मा, विधि सलाहकार, नगरपालिका विराटनगर को तुरन्त प्रभाव से हटाते हुए श्री मामराज सैनी, एडवोकेट (रजि.- आर/153/1996) को नगरपालिका विराटनगर जिला जयपुर के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया जाता है। इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगरपालिका विराटनगर से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(दीपक नन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/20/1210-1218

दिनांक: 26-3-2021

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिकाधी अधिकारी, नगरपालिका, विराटनगर जिला जयपुर।
06. श्री मामराज सैनी, एडवोकेट मार्फत नगरपालिका विराटनगर जिला जयपुर।
07. श्री अशोक कुमार शर्मा विधि सलाहकार नगर पालिका विराटनगर जिला जयपुर।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी